रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13062024-254680
CG-DL-W-13062024-254680

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 2,—जून 8, 2024, शनिवार/ज्येष्ठ 12—ज्येष्ठ 18, 1946
No. 21] NEW DELHI, JUNE 2,—JUNE 8, 2024, SATURDAY/JYAISHTHA 12— JYAISHTHA 18, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 मई, 2024

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1994 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में पुस्तकालय लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुस्तकालय लिपिक (समूह "ग" पद), भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय लिपिक।	02* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900–63,200/- रु.)।	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पणी** 1: आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पणी** 2: कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के आधार पर भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक या समतुल्य; (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र ।	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । **टिप्पणी**: परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा ।	संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति], जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ प्रोन्नति]: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकार या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी,- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; तथा (ख) जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । **टिप्पणी 1**: ऐसे विभागीय ज्येष्ठ पुस्तकालय परिचर, जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा, अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पणी 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 3**: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- (1) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन के प्रभारी) – अध्यक्ष;	लागू नहीं होता ।

(2) अवर सचिव (पुस्तकालय के प्रभारी) – सदस्य; (3) अवर सचिव (प्रशासन-I) – सदस्य । समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:- (1) निदेशक या उप सचिव (प्रशासन के प्रभारी) – अध्यक्ष; (2) अवर सचिव (पुस्तकालय के प्रभारी) – सदस्य; (3) अवर सचिव (प्रशासन-I) – सदस्य ।	

[फा. सं. ए-12018/01/2019-प्रशा.V]

विश्वजीत कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th May, 2024

G.S.R. 67.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Clerk in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Library Clerk (Group 'C') Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.– The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age–limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age–limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age–limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library Clerk.	02* (2024) *(subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted,	Level-2 (`19,900-63,200/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 18 and 27 years (Relaxable upto 40 years for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

		Non-Ministerial.			Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Union territory of Ladakh and Union territory of Lakshadweep. Note 2: In case of recruitment on direct recruitment basis through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Matriculation or equivalent from a recognised institution; (ii) Certificate in Library Science from a recognised institution.	Not applicable.	Two years in case of direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Composite Method [Deputation (including short-term contract)/ promotion], failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Composite Method [Deputation (including short-term contract)/ promotion]: Officers under the Central Government or a State Government or a Union territory or public sector undertaking or recognised research institutions or Universities or semi Government or statutory or autonomous organisations,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** Departmental Senior Library Attendant with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto shall also be considered along with outsiders and in case such person is selected, the post shall be treated as having been filled by promotion, otherwise, it shall be treated as having been filled by deputation (including short-term contract).

Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Director or Deputy Secretary (in-charge of Admin.) : Chairman; (2) Under Secretary (in-charge of Library) : Member; (3) Under Secretary (Ad.I) : Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Director or Deputy Secretary (in-charge of Admin.) : Chairman; (2) Under Secretary (in-charge of Library) : Member; (3) Under Secretary (Ad.I) : Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/01/2019-Ad.V]

VISHVAJEET KUMAR GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जून, 2024

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, विभागीय कैंटीन, हलवाई-सह-रसोइया (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2014 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में हलवाई-सह-रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, हलवाई-सह-रसोइया (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2024 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदिः-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।